राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

सी–7, सुल्तान हाउस, सवाई जयसिंह हाईवे बनीपार्क, जयपुर–302016
फोन नम्बर 0141–4004914 **Website:-** www.rajasthanparamedicalcouncil.org

क्रमांकः– प. 13 ( )/काउ.(सत्र 2020–21)/रा.पै.मेडि.कौं/2021//03 दिनांकः– 6/10/21

–::प्रथम काउन्सलिंग प्रवेश के संबंध में सार्वजनिक सूचना::–

(पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण सत्र 2020–21 में प्रवेश के सम्बन्ध में)

समस्त महाविद्यालय/संस्थान को निर्देशित किया जाता है कि निम्नानुसार ऐसे समस्त अभ्यर्थियों की रिपोर्टिंग स्वीकार की जायेगीः–

1. जिन अभ्यर्थियों का EWS प्रमाण–पत्र वित्तिय वर्ष 2020–21 के लिए बना हो, उन अभ्यर्थियों की उपस्थिति (Reporting) स्वीकार की जावें।
2. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ऑन लाईन आवेदन करते समय अपने मूल दस्तावेजों की छायाप्रति ऑन लाईन फॉर्म में अपलोड की गई है, का मिलान रिपोर्टिंग के समय अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत मूल दस्तावेजों से करते हुए सही पाये जाने पर ऐसे अभ्यर्थियों की रिपोर्टिंग स्वीकार करें।
3. ऐसे अभ्यर्थी जिनके कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं के मूल दस्तावेज गुम हो गये हो, अभ्यर्थी से कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं के डूप्लीकेट दस्तावेज प्राप्त करते हुए ऑन लाईन अपलोड किये गये पूर्व के दस्तावेज तथा ऑन लाईन फॉर्म में कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं के विवरण से मिलान करते हुए ऐसे अभ्यर्थियों की रिपोर्टिंग स्वीकार की जायें।
4. यदि किसी अभ्यर्थी को प्रथम बार महाविद्यालय/संस्थान आवंटित होता है और अभ्यर्थी द्वारा प्रथम बार आवंटित महाविद्यालय/संस्थान में उपस्थिति प्रस्तुत न करते हुए प्रवेश नहीं लिया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थियों को केवल अंतिम काउन्सलिंग राउण्ड में ही शामिल किया जायेगा।

(कैलाश नारायण मीना)
आर.ए.एस.
रजिस्ट्रार